जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
39/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता), श्रीगंगानगर

10–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.12.15 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से सूचनाएं चाही गयी थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. आपका पत्रांक 2810 दिनांक 16.12.2015 प्रार्थी को दिनांक 28.12.2015 को सायं 5 बजे प्राप्त हुआ है अतः जिस अवधि व दिनांक को जिस कर्मकार द्वारा जिस संचार माध्यम से प्रार्थी को प्रेषण हेतू भेजा गया उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्रेषण पंजिका मे नम्बर अकिंत करने के उपरांत जिस–जिस अधिकारी कर्मकार के पास पत्र रहा उसका नाम व पद की सूचना।
4. पत्र प्रेषण लिपिक जिस अधिकारी के अधीन कार्यो का निस्पादन करता है उसका नाम व नद की सूचना।
5 लोक सेवा गारंटी अधिनियम व विभागीय नियम के अन्तर्गत पत्र प्रेषण अकिंत होने के उपरान्त संचार माध्यम से पत्र प्रेषण तक नियम में जो समयाधि निश्चित की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक विभागीय लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 475 दि0 10.03.2016 के साथ अपीलार्थी को दिये गये उत्तर कमांक 10 दिनांक 05.01.2016 की प्रति के अवलोकन से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P-10

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
39/2016

क.सं.	चाही गयी सूचना	जवाब
1.	आपका पत्रांक 2810 दिनांक 16.12.2015 प्रार्थी को दिनांक 28.12.2015 को सायं 5 बजे प्राप्त हुआ है अतः जिस अवधि व दिनांक को जिस कर्मकार द्वारा जिस संचार माध्यम से प्रार्थी को प्रेषण हेतू भेजा गया उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	पत्रांक 2810 दिनांक 16.12.2015 दिनांक 16.12.2015 को ही सामान्य डिस्पेच शाखा को भिजवाया गया। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु एक पृष्ठ के 2 रूपये शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया लेकिन शुल्क जमा नही करवाया गया।
2.	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	श्री राजेश महेन्द्रा लिपिक ग्रेड–2 सूचना दी जा चुकी है
3.	पत्र प्रेषण पंजिका मे नम्बर अकिंत करने के उपरांत जिस–जिस अधिकारी कर्मकार के पास पत्र रहा उसका नाम व पद की सूचना।	उक्त पत्र डिस्पेच शाखा के कर्मी श्री उमाशंकर मीणा के पास पैन्डिंग रहा। उमाशंकर मीणा द्वारा उक्त पत्र दिनांक 18.12.2015 को डाक द्वारा सम्प्रेषित कर दिया गया। इस कार्यालय द्वारा उक्त पत्र दिनांक 16.12.2015 को सामान्य डिस्पेच शाखा में भिजवा दिया गया था जंहा से दिनांक 18.12.2015 को डिस्पेच शाखा द्वारा डाक विभाग को प्रेषित कर दिया गया। दिनांक 19.12.2015, 20.12.2015 व 24.12.2015 से 27.12.2015 तक अवकाश होने के कारण उक्त पत्र डाक विभाग में रहा। (उक्तानुसार सूचना दी जा चुकी है)
4.	पत्र प्रेषण लिपिक जिसे अधिकारी के अधीन कार्यो का निस्पादन करता है उसका नाम व पद की सूचना।	अति. जिला कलक्टर (सर्तकता) प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा(उक्तानुसार सूचना दी जा चुकी है।)
5.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम व विभागीय नियम के अन्तर्गत पत्र प्रेषण अकिंत होने के उपरान्त संचार माध्यम से पत्र प्रेषण तक नियम में जो समयाधि निश्चित की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	प्रति संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 5 तक की जो सूचनाएं चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक्र सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार** लोक सूचना अधि कलक्टर, **श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 05.01.2016 सही है** फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

213-14
25-1-17

आदेश आज दिनांक 10.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर